न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 89/2011

1. गोपाल सिंह आत्मज हरिसिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोविन्द सिंह आत्मज श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश हाल पदस्थापित बी0डी0ओ0 हिण्डोली ।
2. सवलराम गुर्जर सरपंच पूर्व ग्राम पंचायत सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. योगेन्द्र पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. रामस्वरूप आत्मज लोडक्या मेघवाल हाल कार्यरत नरेगा योजना (मेढ) सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अजीत जोशी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 28.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 749/669 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 753/669 रकबा 10 बीघा कुल 02 किता की 12 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । ग्राम सहसपुरिया से बरवास जाने वाला रास्ता ग्रेवल रोड बनाने हेतु प्रस्तावित है जिस पर निर्माण कार्य चालू है । उक्त बनाये जा रहे रास्ते का निर्माण प्रतिवादी कम 1 से 4 द्वारा जबरदस्ती वादीगण की भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वादीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2009 को करवाया गया तो उक्त भूमि के सीमाज्ञान में पाया गया कि रास्ते का निर्माण वादीगण के खातेदारी की भूमि की पश्चिमी दिशा की मेड के अन्दर खेत में किया जा रहा है जो खातेदारी की भूमि में बनाया जा रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी दिशा की मेर के अन्दर खाते की भूमि पर रोड का निर्माण नहीं करे व कृषि भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट नहीं करे, रोड ब्रनाने की स्थिति में उक्त भूमि में मिट्टी व पत्थर खेत से हटवाये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 2 से 4 ने जवाबदावा पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.06.2011 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.06.2011 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट ने जवाबदावा में कथन किया था कि रास्ता निर्माण ग्राम सहसपुरिया की आराजी खसरा नम्बर 440 की भूमि में होकर किया जा रहा है तथा ग्रेवर कार्य ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अनुसार कर रहे हैं । वादीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में था तथा अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी वादीगण अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.06.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह दावा पेश किया था कि अपीलान्ट वादी के खाते की आराजी ग्राम सहसपुरिया खसरा नम्बर 749/669 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 753/669 रकबा 10 बीघा कुल 12 बीघा भूमि पश्चिम दिशा की मेड पर होकर ग्राम सहसपुरिया से बरवास जाने के लिए नरेगा योजना के अन्तर्गत सडक बनाना चाह रहे हैं । आराजी को बिना अधिग्रहण किये उन्हें रास्ता निकालने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कथन किया गया कि वो अपीलान्ट के खाते की आराजी से सडक नहीं निकाल रहे हैं परन्तु उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया । अपीलान्ट का प्रकरण प्रथमदृष्टया प्रमाणित था, सुविधा का संतुलन भी वादीगण अपीलान्ट के पक्ष में था फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । वादी अपीलान्ट का खसरा नम्बर 440 की आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात भी कायम नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.06.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है, जबकि पदनाम से पक्षकार बनाना चाहिए । पंचायत को नोटिस नहीं दिया है इस कारण दावा मेन्टेनेबल नहीं था । अपीलान्ट के खाते की आराजी में किसी तरह से सडक का निर्माण नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2011 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी ने अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 749/669 एवं खसरा नम्बर 753/669 कुल रकबा 12 बीघा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । इस दावे में प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 को व्यक्तिगत केपेसिटी से पक्षकार बनाया है जबकि इनको पदनाम से पक्षकार बनाया जाना चाहिए था । साथ ही ग्राम पंचायत को पंचायत एक्ट की धारा 109 के तहत 02 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो नहीं दिया गया है । जवाबदावे में प्रतिवादी ने यह कथन किया है कि वादी के खाते की आराजी पर सडक निर्माण नहीं कर रहे हैं वरन् खसरा नम्बर 440 पर ग्रामीण राहगीरों के लिए सडक का निर्माण कर रहे हैं । वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में सिर्फ अपने बयाने कराये हैं अन्य किसी स्वतंत्र गवाह के बयान भी नहीं करवाए हैं और न ही कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया है जिससे प्रमाणित हो कि उनके खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण के द्वारा सडक निर्माण का कार्य किया जा रहा है । प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में यह कथन किया है कि वो वादी के खाते की आराजी पर होकर सडक नहीं बना रहे हैं वरन् जनहित में खसरा नम्बर 440 पर सडक निर्माण कार्य कर रहे हैं।

11. इस प्रकार वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं साथ ही पंचायत एक्ट की धारा 109 के तहत ग्राम पंचायत को नोटिस नहीं दिया गया है इस कारण दावा मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2011 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 89/2011

1. गोपाल सिंह आत्मज हरिसिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोविन्द सिंह आत्मज श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश हाल पदस्थापित बी0डी0ओ0 हिण्डोली ।
2. सवलराम गुर्जर सरपंच पूर्व ग्राम पंचायत सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. योगेन्द्र पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. रामस्वरूप आत्मज लोडक्या मेघवाल हाल कार्यरत नरेगा योजना (मेढ) सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 53/दावा/2009

1. गोपाल सिंह आत्मज हरिसिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. गोविन्द सिंह आत्मज श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश हाल पदस्थापित बी0डी0ओ0 हिण्डोली ।
2. सवलराम गुर्जर सरपंच पूर्व ग्राम पंचायत सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. योगेन्द्र पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. रामस्वरूप आत्मज लोडक्या मेघवाल हाल कार्यरत नरेगा योजना (मेढ) सहसपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अजीत जोशी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2011 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा